



ओमकार बनाम गोमाराम वगै०

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या 107.../2025 दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

क या वाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-----------------	----------------------	----------------

9.2025	<p>वादी की ओर से यह वाद पत्र अधिवक्ता श्री टी० एम० वर्मा द्वारा वाद पत्र ने पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 15/10/25 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>सहायक कलक्टर</b>  <b>शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.</b> </p>	
--------	--	--

15/10/25	<p>पत्रावली देब छई। पक्षी व कडील पक्षी उपस्थित नही। आवाज लगई गई। कार-2 आवाज लगाने उपरांत भी कोर्ब उपस्थित नही। अतः पत्रावली अदम वैरवी, अदम हाजरी में कारिज ठी जाती है। पत्रावली निर्णित शुभाह देसा दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>सहायक कलक्टर</b>  <b>शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.</b> </p>	
----------	---	--